: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीमलवाड़ा जिला डूंगरपुर राजस्थान :

पीठासीन अधिकारी :- राकेश कुमार न्योल आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 12/2022 राजस्व अपील.

1 श्री मोहन पिता पुंजा हरिजन जाति हरिजन निवासी ढेबरामसुर तहसील सीमलवाड़ा जिला-डूंगरपुर राज.।

-अपीलान्ट

बनाम

1 श्री मोफत पिता पुंजा हरिजन निवासी ढेबरामसुर तहसील सीमलवाड़ा जिला डूंगरपुर राज.।
2 श्री रायमन पिता पुंजा हरिजन जाति हरिजन निवासी ढेबरामसुर तहसील सीमलवाड़ा जिला डूंगरपुर राज.
3 श्री रूगनाथ उर्फ रूपा पिता पुंजा निवासी ढेबरामसुर तहसील सीमलवाड़ा जिला डूंगरपुर राज.।
4 भूमिधारी तहसीलदार सीमलवाड़ा तहसील सीमलवाड़ा जिला-डूंगरपुर राज.।

-रेस्पोंडेन्टगण

अपील खातेदारी मौजा ढेबरामसुर में नामान्तरण संख्या 81 दिनांक 26/10/1977 को शून्य एवं प्रभावहीन घोषित करने अपील अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :-
1 श्री कालूराम डामोर अधिवक्ता अपीलान्ट।
2 श्री कर्तव्य शाह अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 3 की ओर से।

: निर्णय : दिनांक 10/07/2024

अपीलान्ट की अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट व रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 3 गांव ढेबरामसुर के स्थायी निवासी होकर सगे भाई-भाई है। रेस्पोंडेन्ट संख्या 4 उक्त अपील में आवश्यक पक्षकार है अपीलान्ट व रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 3 के संयुक्त कब्जे काश्त की पैतृक खातेदारी मौजा ढेबरामसुर में खाता संख्या 81 खसरा नम्बर 146,157,159,160 खेत किता 4 कुल रकबा 1.5702 हैक्टेयर भूमि है जो पैतृक भूमि होकर अपीलान्टगण व रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 3 के पिता पुजा भील के हक हिस्से में दर्ज रिकॉर्ड थी। जिनके विधिक वारिसानों का परिवारिक सजरा निम्न प्रकार है-

नाथा (फौत)

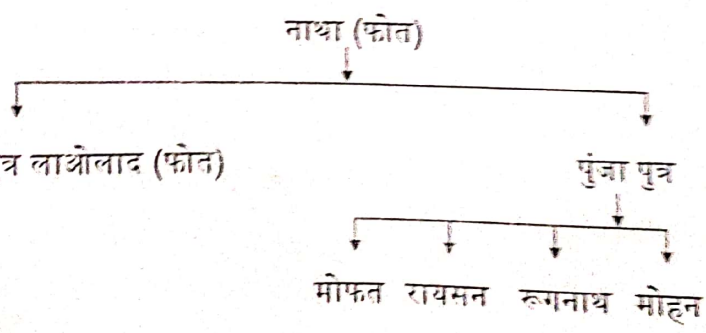

कोया पुत्र लाऔलाद (फौत) | पुंजा पुत्र

मोफत रायमन रूगनाथ मोहन

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

यह कि अपीलान्ट अपने संयुक्त कब्जे काश्त की कॉलम संख्या 2 में अंकित अपीलग्रस्त आराजी में प्रधानमंत्री सम्मान योजना का लाभ लेने हेतु हाल जमाबंदी की नकल निकलवाई तो जानकारी हुई कि अपीलान्ट की कब्जेशुदा पैतृक आराजी भूमि राजस्व रिकॉर्ड में रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 3 के नाम दर्ज है जिस पर अपीलाण्ट ने पिता की मृत्यु के बाद खोले गए नामान्तरण की नकल पटवारी से मिलकर निकलवाई तो पता चला कि राजस्व कर्मचारीयों ने लापरवाही पुर्वक अपीलान्ट के पिता व रेस्पोडेण्टगण सख्या 1 से 3 के पिता की मृत्यु के पश्चात खोले गए नामान्तरण सख्या 61 की भूमि रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 3 के नाम दर्ज कर दी है तथा ग्राम पंचायत झरनी ने बिना जांच किये उक्त नामान्तरण संख्या 61 को रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 3 के विधिक वारिसान होना तस्दीक कर दिया जबकि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 3 के चार संतान होकर विधिक वारीसान है। ऐसे में पुंजा की मृत्यु के पश्चात खोले गये नामान्तरण में विधि एवं नियमानुसार रेस्पोडेण्टगण संख्या 1 से 3 के साथ अपीलान्टगण का नाम दर्ज किया जाना आवश्यक था लेकिन राजस्व कर्मचारियों ने रेस्टपोडेण्टगण संख्या 1 से 3 के साथ मिलीभगत कर अपीलान्ट के नाबालिग होने पर उसका नाम छोडकर रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 3 के नाम नामान्तरण दर्ज कर अपीलान्ट के साथ लापरवाही बरती गई है। अपीलान्ट ने राजस्व कर्मचारियों से नियमानुसार विधिक वारिसान होने से नाम दर्ज करने के लिए कहा गया तो राजस्व कर्मचारीयों ने अपीलान्ट का नाम दर्ज करने से मना कर दिया। जिस पर अपीलान्ट ने प्रशासन गांवों के संग शिविर में लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर खाता दुरूस्त करने कहा तो नाम जोडने से इंकार कर दिया। ऐसे में नामान्तरण खोलने की जानकारी होने की म्याद अवधि में अपील श्रीमान् आप न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है। ग्राम पंचायत झरनी द्वारा बिना किसी पुख्ता जांच किए कॉलम संख्या 2 में अंकित भुमि के खोले गये नामान्तरण संख्या 61 में जांच परख किए बिना ही रेस्पोडन्ट संख्या 1 से 3 के नाम दर्ज कराने दिनांक 26/10/1977 को प्रमाणित किया गया। ऐसे में उक्त नामान्तरण संख्या 61 को खारिज कर शुन्य एवं प्रभावहीन घोषित किया जावे तथा मौजा ढेचरामसुर में खाता संख्या 81 खसरा नम्बर 146,157,159,160 खेत किता 4 कुल रकवा 1.5702 हैक्टेयर भूमि को अपीलान्ट व रेस्पोडेण्टगण के नाम नामान्तरण खोला जाना आवश्यक है। भू–अभिलेख नियमावली की धारा 120 के अनुसार ग्राम पंचायत का कर्तव्य था कि वह नामान्तरणकरण खोले जाते समय अपीलांट की उपस्थिति में उसका पक्ष को सुनकर विधिक वारिसानो व रेकोर्ड के बारे पुर्ण जानकरी रखकर नामान्तरण तस्दीक किया जाना था। लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया गया। जो साबित करता है कि ग्राम पंचायत द्वारा अविधिक निर्णय पारित किया है, जिससे उपरोक्त नामान्तरण को शून्य एवं प्रभावहीन घोषित किया जाना आवश्यक है। अतः अपीलान्टगण की अपील स्वीकार की जाकर उपरोक्त नामान्तरणकरण संख्या 61 को अपास्त कर मौजा ढेचरामसुर में खाता संख्या 81 खसरा नम्बर 146,157,159,160 खेत किता 4 कुल रकवा 1.5702 हैक्टेयर आराजी में अपीलान्ट का नाम नामान्तरण में दर्ज करने का आदेश फरमावे।

अपीलान्ट की अपील दर्ज कर रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। रेस्पोडेन्टगण ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा एक अपील न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। पिता पुंजा के फोत होने पर खोले गए नामान्तरणकरण में अपीलांट के नाम नामान्तरण नहीं खोला गया है। विधि एवं नियमानुसार अपीलांट मोहन का नाम, हम रेस्पोडेण्टगण के साथ जोडा जाता है

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

Scanned with OKEN Scanner

तो कोई आपति नहीं है। क्योकि अपीलांट व हम रेस्पोडेण्टगण सगे भाई भाई होकर पुंजा हरिजन के चार विधिक वारिसान है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस सुनी गयी। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य सबूतों के आधार पर अपीलान्ट की अपील न्यायसंगत होने से स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को रेस्पोंडेंटगण ने भी स्वीकार किया है।

क्रियात्मक आदेश

मौजा ढेचरामसुर में खाता संख्या 81 खसरा नंबर 146, 157, 159, 160 खेत किता 4 कुल रकबा 1.5702 हैक्टेयर के संबंध में अपीलीय नामान्तरकरण संख्या 61 अपास्त किया जाता है एवं तहसीलदार सीमलवाड़ा को रिमाण्ड कर निर्देशित जाता है कि मृतक पूंजा के समस्त वारीसान की जांच कर नामान्तरकरण की कार्यवाही करें।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

निर्णय आदेश आज दिनांक 10/07/2024.को खुले न्यायालय मे सुनाया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

Scanned with OKEN Scanner